प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– ५११५/म0गां0 नरेगा–सेल– /2011 दिनांक 06 दिसम्बर, 2011

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 12.12.2011 को एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा– लेबर बजट की तैयारी, www.mgnregaupbudgetandfunds.in पर सूचनाओं का अंकन, शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण, निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशों एवं परिपत्रों का परिपालन, खण्ड विकास अधिकारियों की जिज्ञासाओं का निवारण, एम0आई0एस0 फीडिंग में अनुभूत समस्याओं के निवारण तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हेतु दिनांक 12.12.2011 को गन्ना संस्थान, डालीबाग, लखनऊ के सभागार में खण्ड विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का 2 चरणों में निम्नानुसार आयोजन किया गया हैः–

क्रमांक	जनपद	समय
1	प्रथम एवं द्वितीय चरण के जनपद	पूर्वान्ह 10:30 से 1:00 बजे तक
2	तृतीय चरण के जनपद	अपरान्ह 2:00 से 4:30 बजे तक

चूंकि आगामी समय में वित्तीय वर्ष 2012–13 का श्रम बजट तैयार होना है एवं उसे अपलोड किया जाना है तथा अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है। अतः इस कार्यशाला में सभी खण्ड विकास अधिकारियों का प्रतिभाग किया जाना आवश्यक एवं उपयोगी होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि यदि कोई खण्ड विकास अधिकारी अपरिहार्य कारण से उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उसकी अनुमति जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित किया जायेगा। बिना अनुमति के जो खण्ड विकास अधिकारी अनुपस्थित होंगे, उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

०६/१२/११

(संजीव कुमार),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक– ५११५/म0गां0 नरेगा–सेल– /2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– वैयक्तिक सहायक, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

(अनुराग यादव),
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।